तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो की तामील में
18/5/24	[illegible] P.C. [illegible] तारीख दिनांक 16/11/24 को पेश हो।	
15/9/24	पत्रावली आज मूलवाद के जवाब पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर अपने पक्ष मूलवाद को खारिज करा लिया है। अतः प्रार्थना पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी / प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मौजूदा मुमकिन के नकल होने तक मूलवाद के जवाब सकंटन रहे। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	मैं मुकदमा चलाना नहीं चाहता हूँ। [illegible] 15/9/24 Alwar